

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

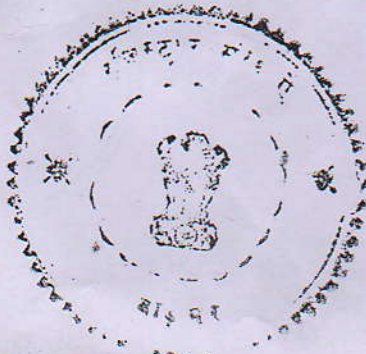
क्रमांक : ..... 27 ...../बाड़मेर/200 4.... 200 5....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~श्री. कालेवी बाता जी~~

~~सेवा समिति समझौदा~~

..... जिला बाड़मेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय मोहर से आज दिनांक ..... 5 फरवरी ..... माह ..... फरवरी ..... सन् दो हजार ..... को बाड़मेर में दिया गया।



*hpf*  
(~~रजिस्टार संस्थाएं, बाड़मेर~~)

रजिस्टार संस्थाएं, बाड़मेर  
जिला बाड़मेर, राजस्थान

Registered

पंजीयन क्रमांक 668/05  
दिनांक 18-3-2005  
डिस्पेच नं. 2517  
दिनांक 18/3/05

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

## पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर  
श्री श्री ललेची माता गौ सेवा समिति

समदड़ी तहसील सिवाना  
जिला बाड़मेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री नरसिंग दास अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला  
श्री श्री ललेची माता गौ सेवा समिति, समदड़ी ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रावधान द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।



आज दिनांक 18/3/05

माह मार्च

वर्ष दो हजार पाँच

पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं उपनिदेशक  
गोशाला (राजस्थान), जयपुर  
18-3-2005

राजस्थान स्टेट गोशाला फेडरेशन, जयपुर

(राजस्थान गोशाला एक्ट 1960 की धारा 3 के निर्देशानुसार गठित)

सी-120/121, गौमाता भवन, बजाज नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261